राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड
जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646
फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांकः–प.1 / विजा / स्था0 / 2018 / 4115 दिनांक 30 / 08 / 2018

:– आदेश :–

श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर को ज्ञापन क्रमांक 979 दिनांक 07.03.18 से राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया जाकर निम्न प्रकार आरोपित किया गया था।

आरोप संख्या 1. – यह कि आप द्वारा खरीफ फसल 2016 संवत 2073 की 7डी में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हुए खराबे में 2 हेक्टेयर से अधिक कुल भूमिधारक 69320 राशि 2196.30 लाख रू. अंकित किये गये थे, जिसमे से आप द्वारा आदिनांक तक कुल कृषक 29830 को राशि 1211.80 लाख रू0 ही वितरण किये गये है ।

2 हेक्टेयर से अधिक भूमिधारक के लिए कुल कृषक 7703 जिसकी राशि 1020.16 लाख रू0 आपको आवंटित किये गये थे,जिसमे से आप द्वारा 5849 कृषक राशि 794.06 लाख रू0 ही वितरण किये गये है । जिसके कारण वित्तीय अनियमितता हुई है। जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की ही है। इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य मे लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 2. – यह कि आपको उक्त संबंध में कारण बताओं नोटिस क्रमांक सहायता / नोटिस / 2017 / 324–27 दिनांक 14.2..18 जारी कर उक्त सूचना तत्काल एवं नोटिस का जवाब तीन दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आपके द्वारा न तो पूर्ण भुगतान किया गया है न ही इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। जिसके लिए आपको आरोपित किया जाता है।

उक्त आरोपो के कम मे श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर ने लिखित जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया :–

1– तहसील खानपुर मे 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हुए खराबे मे दो हेक्टेयर तक कुल कृषक 69320 तथा राशि रू0 2196.30 लाख आवंटित किये गए थे के मुकाबले 38371 कृषको को राशि रू0 1537.90 लाख का भुगतान किया गया चुका है तथा अन्य कृषक जो 2 है0 से अधिक के है मे कुल कृषक 7703 राशि 1020.16 लाख के मुकाबले कृषको को 6063 राशि 8225.80 लाख का भुगतान किया जा चुका है शेष कृषको को भुगतान का शीघ्र ही करवा दिया जावेगा ।

2– राजकार्य मे व्यस्तता के कारण समय पर जवाब प्रस्तुत नही हो सका ।

हमारे द्वारा श्री वर्मा के द्वारा प्रस्तुत जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया, श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर के प्रकरण मे सहानूभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण मे कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

जिला कलक्टर
झालावाड
दिनांक 30.08.2018

कमाक सम0 / 18 / 4116
प्रतिलिपी निम्न को :–
1–उपखण्ड अधिकारी खानपुर
2–तहसीलदार खानपुर
3–श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर
4–व्यक्तिगत पत्रा0
5 रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुल में जाती

जगमग झालावाड़

16-17 CCA 398